

सं. ई-12012/1/2019-हिन्दी-डीजीएचएस / 952 - 955

भारत सरकार
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
(हिन्दी अनुभाग)


निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक 13/01/2020

विषय: वर्ष 2020 में हिन्दी शिक्षण योजना के तहत हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना के दिनांक 19.11.2019 के पत्र सं. 13/1/2019/उ.नि.(टं/आ)/3845-4545 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ लें जिसके तहत वर्ष 2020 में आयोजित किए जाने वाले हिन्दी शब्द संसाधन/हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी सूचना भेजी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उक्त संदर्भित पत्र में दी गयी है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्माण भवन, कमरा संख्या 203, दूसरा तल, 'एफ' विंग में आयोजित किया जा रहा है।

महानिदेशालय के सभी अनुभागों/प्रकोष्ठों से अनुरोध है कि उपर्युक्त उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन विहित प्रपत्र में प्राथमिकता के आधार पर 28.01.2020 तक भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोपरि


(लक्ष्मी गर्ग)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के समस्त अनुभाग/प्रभाग/प्रकोष्ठ

प्रतिलिपि:

1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ।
3. श्री संत राम, उप निदेशक (टं/आ), हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण स्कन्ध, पूर्वी खंड-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066 को उनके दिनांक 19.11.2019 के पत्र सं. 13/1/2019/उ.नि.(टं/आ)/3845-4545 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4. श्री विभूति शरण सिन्हा, सहायक निदेशक, निर्माण भवन, कमरा नं. 203, दूसरा तल, 'एफ' विंग, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ ।
5. प्रभारी, आईटी प्रकोष्ठ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

टेली-फैक्स: 26173775

संख्या/No : 13/1/2019/उ.नि.(टं./आ.)/3845 - 4545

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE


हिंदी शिक्षण योजना हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण
HINDI TEACHING SCHEME, HINDI WORD PROCESSING/ HINDI TYPING/STENOGRAPHY TRAINING

पूर्वी खंड/East Block-7, लेवल/Level-6,

आर.के. पुरम/R.K. Puram,

नई दिल्ली/New Delhi-110066

दिनांक/Dated . . . 19/11/2019



सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)

निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/प्रबंधक(राजभाषा), प्रशासनिक अधिकारी,

सभी मंत्रालय/विभाग/संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक उपक्रम/निगम, निकाय तथा राष्ट्रीयकृत बैंक इत्यादि, नई दिल्ली ।

विषय :- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि की दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन-फरवरी 2020

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि दीर्घकालिक प्रशिक्षण का आगामी सत्र फरवरी, 2020 से प्रारंभ होगा। प्रशिक्षार्थियों का कक्षाओं में प्रवेश दिनांक 13-14 फरवरी, 2020 को होगा। जबकि कक्षाएं दिनांक 18 फरवरी, 2020 से आरंभ होंगी। "प्रवेश पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर होगा। प्रशिक्षण केंद्रों की विस्तृत जानकारी अनुलग्नक "क" में दी गयी है। कृपया प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को दिनांक 31-1-2020 तक भिजवाना सुनिश्चित करें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजी जाए।

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण चूंकि वर्ष 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, अतः अनुरोध है कि कर्मिकों को प्रशिक्षण हेतु प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी आशुलिपि
अवधि	फरवरी 2020 से जनवरी 2021, प्रतिदिन 1 घंटा, 1 वर्ष
परीक्षा	जनवरी 2021 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मैट्रिक या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्राज्ञ आदि

पात्रता -

केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

अनिवार्य :-

सभी वर्गों के अंग्रेजी आशुलिपिकों, वैयक्तिक सहायकों तथा निजी सचिवों हेतु।

स्वैच्छिक :-

अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों हेतु

- हिंदी टंकण जानने वाले अवर श्रेणी लिपिकों/टंककों को भी हिंदी आशुलिपि कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामांकित किया जा सकता है और कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि उस कर्मचारी की हिंदी आशुलिपि में प्रवीणता का कार्यालय के कार्य में उपयोग किए जाने की संभावना है। इन कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई वित्तीय प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

पाठ्यक्रम का नाम	हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण
अवधि	फरवरी 2020 से जुलाई 2020 में (प्रतिदिन 1 घंटा, 6 माह)
परीक्षा	जुलाई के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में
हिंदी में योग्यता	हिंदी के साथ मिडिल (आठवीं) या उसके समकक्ष अन्य कोई परीक्षा जैसे हिंदी शिक्षण योजना की प्रवीण आदि

पात्रता : केवल उन्हीं अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने अभी तक हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

अनिवार्य :

सभी अंग्रेजी टंककों/कनिष्ठ सचिवालय सहायकों (अवर श्रेणी लिपिकों), डाक विभाग में डाक सहायकों एवं कार्यालय सहायकों, रेल डाक सेवा में छंटाई सहायकों, कार्यालय सहायकों, दूरसंचार विभाग में दूर संचार सहायकों, आयकर तथा कस्टम एवं एक्ससाइज विभाग में कर सहायकों, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों/डाटा एंट्री ऑपरेटरों आदि के लिए, इसके अलावा इसमें वर्ग "ग" के वे कर्मचारी भी शामिल होंगे जो इसी प्रकृति का कार्य करते हैं और जिनके भिन्न पदनाम और भिन्न वेतनमान हैं। वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कर्मिकों के लिए, जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

स्वैच्छिक:

वर्तमान में सहायकों, वरिष्ठ सचिवालय सहायकों (उच्च श्रेणी लिपिकों), लेखा परीक्षकों, चयन ग्रेड लेखा परीक्षकों तथा अनुवादकों के लिए हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है, परन्तु इन्हें हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की कक्षाओं में स्वैच्छिक आधार पर नामित किया जा सकता है और इन्हें कक्षाओं में रिक्त स्थान होने पर प्रवेश दिया जा सकता है। ये कर्मचारी हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी प्रकार के वित्तीय लाभ/वित्तीय प्रोत्साहन आदि के हकदार होंगे, जैसे कि वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार एवं एकमुश्त पुरस्कार आदि।

वित्तीय प्रोत्साहन

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने पर, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21034/08/2017-रा.भा.(प्रशि) के अनुसार अराजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक हिंदी आशुलिपिक की परीक्षा 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर तथा राजपत्रित अंग्रेजी आशुलिपिक 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन पाने के हकदार होंगे।
- परंतु जिन अंग्रेजी आशुलिपिकों की मातृ भाषा हिंदी नहीं है उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करने पर हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर दो वेतन वृद्धियों के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 किमी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है।
- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर अधोलिखित तालिका के अनुसार पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है।

हिंदी आशुलिपि

1.	95 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रुपए 2400/-
2.	92 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रुपए 1600/-
3.	88 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रुपए 800/-

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण

1.	97 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर	रुपए 2400/-
2.	95 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रुपए 1600/-
3.	90 प्रतिशत या इससे अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर	रुपए 800/-

परीक्षा शुल्क :-

केंद्रीय उपक्रमों, निगमों तथा बैंकों, आदि के कर्मचारियों के लिए हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण तथा हिंदी आशुलिपि के लिए 100/- रुपये प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा शुल्क का भुगतान उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम, नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है।

नामांकन विधि एवं प्रपत्र

- प्रशिक्षण केंद्रों का विवरण अनुलग्नक "क" पर दिया गया है। उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे अनुलग्नक "ख" में दिए गए प्रपत्र में भरकर 31 जनवरी, 2020 तक सीधे संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी को भिजवाना सुनिश्चित करें तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेजी जाए।
- नामांकन निर्धारित प्रपत्र में ही भेजा जाए। नामित करने वाले अधिकारी का नाम, कार्यालय का पूरा पता, टेलीफोन नंबर तथा ई-मेल आई डी का पत्र में स्पष्ट उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि पत्राचार में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या भी अवश्य दर्शाई जाए।

- हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण के इस सत्र के लिए नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में 13 फरवरी, 2020 (अनिवार्य वर्ग के लिए) तथा 14 फरवरी 2019 (स्वैच्छिक वर्ग के लिए) को प्रवेश हेतु प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी सहायक निदेशक (टं./आ.) से संपर्क करना होगा।
- इस पत्र के अलावा प्रशिक्षण के लिए नामित कर्मचारियों को प्रवेश लेने हेतु अलग से कोई पुष्टि पत्र नहीं भेजा जाएगा। अतः इस परिपत्र में दिए गए नामित कर्मचारियों को प्रवेश हेतु स्वयं संबंधित केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर संपर्क करना होगा।
- संबंधित प्रभारी सहायक निदेशक (टं./आ.) द्वारा प्रशिक्षण हेतु रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को दाखिला देने की लिखित सूचना दी जाएगी, जिसे संबंधित कर्मचारी अपने कार्यालय में सूचनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि संबंधित कार्यालय द्वारा प्रवेश न लेने वाले कर्मचारी के संबंध में यथोचित कार्रवाई समय पर की जा सके।
- यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उसके कार्यालय के निकट के प्रशिक्षण केंद्र पर स्थान उपलब्ध न रहने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है तो उसे सूची में दिए गए किसी भी अन्य केंद्र पर प्रवेश के लिए भेजा जा सकता है, बशर्ते, वहां स्थान उपलब्ध हो।

विशेष

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि इस परिपत्र को सभी संबद्ध कार्यालयों/शाखाओं में शीघ्र परिचालित करवाने का कष्ट करें।
- यह सुनिश्चित करना संबंधित कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का दायित्व है कि कार्मिकों को अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए, नामित कर्मचारी कक्षाओं में निश्चित रूप से प्रवेश लें, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें और अनिवार्य रूप से परीक्षा में भी सम्मिलित हों ताकि प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग हो सके और निर्धारित समय में प्रशिक्षण लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

भवदीय



(संत राम)

उप निदेशक (टं./आ.)

Chti1035

19.11.2019

प्रशिक्षण केंद्रों की सूची

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्रों का नाम व पता	सहायकनिदेशक का नाम व दूरभाष	कार्यालय/भवन जहां के कर्मचारियों को प्रवेशमें प्राथमिकता दी जाएगी	प्रशिक्षण का माध्यम
1.	रामकृष्ण पुरम ईस्ट ब्लॉक-2, लेवल-1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066	श्री चरणजीत वर्मा फोन 26186035	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
2.	रामकृष्णपुरम ईस्ट ब्लॉक-7, लेवल-6 नई दिल्ली-110066	श्रीमती विनीता तिवारी फोन 26175246	रामकृष्णपुरम और आसपास स्थित सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
3.	डाक भवन कमरा नं. 109-बी, प्रथम तल, डाक भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	श्री बाबू राम वोहरा फोन 23036516	डाक भवन, पटेल भवन, निर्वाचन सदन, संचार भवन, कर्नाट प्लेस, संसद मार्ग, तथा आसपास के सभी कार्यालय बैंक आदि	कंप्यूटर पर
4.	योजना भवन कमरा नं. 427 सी, संसद मार्ग, योजना भवन, नई दिल्ली	सुश्री आशा फोन 23042529	योजना भवन, आकाशवाणी, रिजर्व बैंक, श्रम शक्ति भवन, परिवहन भवन, संसद मार्ग तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
5.	बी-ब्लॉक, कमरा नं. 107, बी-ब्लॉक हटमेंट्स, (साउथ ब्लॉक के पीछे) नई दिल्ली-110011	श्री जयवीर फोन 23014875	सेना भवन, साउथ ब्लॉक, नार्थ ब्लॉक स्थित समस्त कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, तथा आसपास हटमेंट्स में स्थित कार्यालय	कंप्यूटर पर
6.	निर्माण भवन कमरा नं. 203 दूसरा तल, एफ विंग नई दिल्ली	श्री विभूती शरण सिन्हा मो. 9910213246	निर्माण भवन, उद्योग भवन, वायुभवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, विदेश मंत्रालय तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर
7.	रेल भवन कमरा नं. 564 जे रेल भवन, नई दिल्ली	श्रीमती ऊषा शर्मा फोन 23303209	रेलभवन कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, श्रम शक्ति भवन तथा आसपास के कार्यालय	कंप्यूटर पर
8.	संघ लोक सेवा आयोग अतिथि गृह भवन, भूतल, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069	श्री महेन्द्र कुमार फोन 23098591/4711	संघलोक सेवा आयोग, लोक नायक भवन, निर्माण भवन, अकबर रोड हटमेंट्स, जामनगर हाउस, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, आई.टी.ओ. तथा आसपास के सभी कार्यालय	कंप्यूटर पर

नामांकन प्रपत्र

नामित कर्मचारियों का विवरण						सुविधाजनक केंद्र
प्रशिक्षण		नाम/पदनाम	दूरभाष/ई-मेल	हिंदी में योग्यता	जन्म तिथि	
टंकण	आशुलिपि					3
1	2					

31-01-2020 को हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों की संख्या

(कृपया इस कालम को अनिवार्य रूप से भरें अन्यथा आपकी रिपोर्ट शून्य समझी जाएगी)

हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी टंकण	हिंदी आशुलिपि

नामित करने वाले अधिकारी का नाम.....
कार्यालय का नाम व पूरा पता,.....
दूरभाष नं०
ई-मेल आई-डी

हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
राजभाषा विभाग
प्रशिक्षार्थी का विवरण

प्रशिक्षण सत्र:

कक्षा का नाम हिंदी शब्द संसाधन/हिंदी/हंकरण/आशुलिपि
परीक्षार्थी की स्थिति : नियमित/प्राइवेट/पत्राचार/गहन

क्र सं.	विवरण	DETAILS
1.	प्रशिक्षार्थी का नाम (हिंदी में):	Name OF candidate (BLOCK LETTERS)
2.	लिंग (स्त्री/पुरुष)	Gender(M/F)
3.	पिता/पति का नाम (हिंदी में):	Father's/Husband's name
4.	प्रशिक्षार्थी का पदनाम (हिंदी में)	Designation
5.	मातृभाषा	Mother tongue
6.	हिंदी भाषा में ज्ञान का स्तर : दसवीं से अधिक/ आठवीं से अधिक दसवीं से कम/पांचवीं से अधिक आठवीं से कम/ पांचवीं से कम/ प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ	Knowledge of Hindi Above 10 th / Above 8 th less than 10 th / Above 5 th less than 8 th / Less than 5 th / Prabodh/Praveen/ Pragya
7.	मंत्रालय(हिंदी में):	Name of Ministry
8.	विभाग का नाम (हिंदी में):	Name of Department
9.	नामित करने वाले अधिकारी का नाम तथा पदनाम	Name & Designation of the Nominating officer
10.	कार्यालय का पूरा पता(हिंदी में): ई मेल/ आई0डी0/दूरभाष	Full office address With E.mail ID/phone
11.	दूरभाष	Phone/mobile
12.	ई मेल/आई0डी0	E.mail/id of candidate
13.	आधार सं0	Adhhar No.
14.	परीक्षा शुल्क भरने का विवरण DETAILS (if doesn't belong to a Direct Central Govt office/Dept)	Amount: Details of Payment Bank Draft Number Date Name of Bank Bank Branch

नोट: कृपया अंग्रेजी का विवरण केवल (Block LETTERS) में ही भरें ।

(प्रशिक्षार्थी के हस्ताक्षर)

